न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक निगरानी 2970–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–8–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 574/अ–68/07–08.

.....

देशराज पुत्र राजधर यादव
निवासी ग्राम केनवार
तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

----- आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

----- अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18 – 09 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक निग0 574/अ–68/07–08 में पारित आदेश दिनांक 2–8–2008 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को नायब तहसीलदार समरी के राजस्व प्रकरण कमांक 4/अ–68/87–88 में पारित आदेश दिनांक 10–7–88 द्वारा खसरा नं. 762 रकबा 1.619 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन किया गया । उक्त आदेश के 17 वर्ष उपरांत अर्थात वर्ष 2005 में अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी में लिया गया एवं आदेश दिनांक 11–3–88 द्वारा व्यवस्थापन को नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने के

आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के संबंध में पारित कलेक्टर का आदेश निरस्त किया तथा आवेदक के पक्ष में दिए गए पट्टे पर भूमिस्वामी अधिकारी बहाल किए गए । किंतु आदेश में कलेक्टर के प्रकरण कमांक , पक्षकार के नाम एवं प्रश्नाधीन भूमि का नंबर आदि गलत लेख कर दिये जाने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन 11–3–1988 में किया गया था । व्यवस्थापन होने के उपरांत उपरांत काफी मेहनत से उसे कृषि योग्य बनाया है कलेक्टर ने इस तथ्य को अनदेखा किया है ।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा वर्ष 2005 में अर्थात 17 अधिक समय प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक के पक्ष में दिए गए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्र0क0 36/स्व.निग./07–08 में पारित आदेश दिनांक 11–3–08 के विरूद्ध निगरानी पेश की थी जिसमें अपर आयुक्त ने कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 11–3–88 का उल्लेख तो सही किया है किंतु कलेक्टर के न्यायालय का प्रकरण कमांक एवं प्रश्नाधीन भूमि का गलत विवरण लिखते हुए कलेक्टर का आदेश निरस्त किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 33/स्व.निग./07–08 में अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश पारित किया था उनका लेख अपर आयुक्त ने आवेदक के प्रकरण में किया है जबकि आदेश के उन्मान में आवेदक का ही नाम है । अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर का जो आदेश है वह प्रिन्टेड प्रोफार्मा में है और उसमें आवेदक का नाम एवं पता, विचारण न्यायालय का प्रकरण कमांक तथा आदेश का दिनांक एवं भूमि का सर्वे नं. एवं रकबा को टंकण द्वारा प्रोफार्मा में भरा गया है आदेश में अनावेदक को सुने जाने का उल्लेख है किंतु उसे सुना गया था इसका कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है ।

6/ अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक को वर्ष 1988 में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसे कलेक्टर ने 17 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में 17 वर्ष की अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । "

यदि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो स्थिति यह बनती है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त अवधि में नहीं की गई है । न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 – जब किसी पक्षकार को बहूमूल्य अधिकार प्राप्त हो जायें तब विलंब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलंब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है तथा धारा 50 भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से

वंचित नहीं किया जा सकता । प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 36/स्व.निग./07–08 में पारित आदेश दिनांक 11–3–08 के विरूद्ध पेश की गई थी अपर आयुक्त ने आदेश के उन्मान में आवेदक के नाम का तथा आदेश में कलेक्टर के आदेश का उल्लेख तो सही किया है, किंतु आदेश में कलेक्टर के प्रकरण कमांक, प्रश्नाधीन भूमि का विवरण तथा पक्षकार के नामों का गलत उल्लेख किया गया है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2008 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–08 निरस्त किए जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक के हित में ग्राम कैनवार तहसील व जिला टीकमगढ़ स्थित प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान सर्वे नं. 762/1 रकबा 1.619 हैक्टर का किया गया व्यवस्थापन यथावत रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर